अति तत्काल
फैक्स / स्पीड पोस्ट से

संख्या : 14/1/2013-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 29 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 18 जनवरी, 2013 को आयोजित की गई अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2013 सीरीज) का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को 18 जनवरी, 2013 को आयोजित ईओयू योजना के लिए अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2013 सीरीज) के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया इस विभाग को अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार पर भेजें।

(एस एस कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23062496
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

संलग्नक : यथोपरि

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. विकास आयुक्त, सीएसईजेड, एफएएसईजेड, आईएसईजेड, केएएसईजेड, एमएसईजेड, एनएसईजेड, एसईईपीजेड – एसईजेड और वीएसईजेड
9. महानिदेशक, ईपीसीईएस
10. सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव(एमपी) के पीपीएस / संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू) के पीएस / निदेशक(एसएस) के पीएस

ईओयू योजना के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 18 जनवरी, 2013 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2013 सीरीज) का कार्यवृत्त

वाणिज्य सचिव श्री एस आर राव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 18 जनवरी, 2012 को ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की पहली बैठक (2013 सीरीज) हुई। अध्यक्ष महोदय ने बीओए के सभी सदस्यों का स्वागत किया।

1.1(13) : 23 नवंबर, 2012 को आयोजित बीओए की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

अनुमोदन बोर्ड ने 23 नवंबर, 2012 को आयोजित बीओए की पांचवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

1.2(13) : मैसर्स प्लाज्मा प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर / सीएसईजेड द्वारा देशज मेजानाइन लेआउट के साथ स्टोरेज रैक के ड्यूटी फ्री प्रापण के लिए अनुमति

अनुमोदन बोर्ड ने देशज मेजानाइन लेआउट के साथ स्टोरेज रैक के ड्यूटी फ्री प्रापण के लिए यूनिट के अनुरोध विचार किया। चर्चा के बाद अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के निष्पादन तथा देशज रूप में मदों की सोर्सिंग को ध्यान में रखते हुए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत ईओयू द्वारा डीटीए सोर्सिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों के औचित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता है। डीजीईपी ने भी यह विचार व्यक्त किया कि डीटीए सोर्सिंग के प्रतिबंधों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि विकास आयुक्तों की समिति विदेश व्यापार नीति के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों की समीक्षा करे और 60 दिन के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।

निजी सुनवाई के लिए अपील के मामले

1.3(13) : मैसर्स गीतांजली ऊलन्स प्राइवेट लिमिटेड / केएसएसईजेड – 31 मार्च, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि कम करने के विरूद्ध अपील

अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के प्रतिनिधि को सुना तथा उसके द्वारा दिए गए लिखित बयान को नोट किया। 14 सितंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया था विदेश व्यापार नीति (2009-2014) के तहत प्रक्रिया हैंडबुक के अनुबंध 14-1-सी के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा सभी संगत परिस्थितियों पर विचार करने के बाद एलओपी की वैधता केवल 31 मार्च, 2013 तक अनुमत होगी। अनुमोदन बोर्ड ने मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस संबंध में विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 14 सितंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय में परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार, अपील का निस्तारण किया गया।

1.4(13) : मैसर्स बिग बैग्स (सीएसईजेड) – सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय का आदेश – विकास आयुक्त तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा 27 जनवरी, 2007 के बाद एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए उनके अनुरोध की अस्वीकृति के विरूद्ध अपील

अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट के अधिकृत प्रतिनिधि श्री बी एन गुरूराज, एडवोकेट को सुना तथा उनके द्वारा लिखित वक्तव्यों को नोट किया। बोर्ड ने नोट किया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2012 के माध्यम से उनके द्वारा दाखिल अपील पर याचिकाकर्ता की बात सुनने और कानून के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करने का निदेश दिया है। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि यूनिट ने केवल 29 नवंबर, 2007 तक एलओपी की अवधि बढ़ाने के लिए न्यायालय के समक्ष अपना अनुरोध प्रस्तुत किया है।

यूनिट की अपील पर बोर्ड द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। नोट किया गया कि यूनिट की अपील को 9 अप्रैल, 2010 (2010 सीरीज की दूसरी बैठक) को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा पहले इस अपील को अस्वीकार कर दिया गया था।

विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने अपील को अस्वीकार करते हुए उसका निस्तारण करने का निर्णय लिया तथा वाणिज्य विभाग को इस आशय का स्थाई आदेश जारी करने का निदेश दिया।